देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

# JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/15 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 7 जून 2022

# क्यूंकि चौकीदार ही चोर है!!

## उद्यम प्रोत्साहन संस्थान मे वर्षो से हो रहा जम कर भ्रष्टाचार!!!

## सरकारी संस्था को बना दिया जैबी संस्था!!!

## विशेष जांच दल ने अपनी जांच मे उजागर की, संस्था मे हो रही कई अनियमितताए!!!

## संस्था का 6 साल के लेखो का अनुमोदन करवाया जा रहा एक साथ एक ही साल मे!!!

**20 सालो से जमे हुए है पदाधिकारी,**
**रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छूट रहा मोह!!!**
**संस्था के प्रबंध निदेशक पद पर पुनः रिटायर अधिकारी को लगाने का प्रस्ताव भेजा संस्था की जनरल मीटिंग मे!!**


*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

## क्या है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान?

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मेलो के आयोजनो एवं ग्रामीण/शहरी हाटों के रखरखाव के लिए उद्योग विभाग,राजस्थान द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत "उद्यम प्रोत्साहन संस्थान" का गठन वर्ष 1995 मे किया गया था|इस संस्थान के शासकीय मण्डल मे आयुक्त उद्योग,चेयरमेन और मेनेजिंग डायरेक्टर RIICO,चेयरमेन और मेनेजिंग डायरेक्टर RFC सहित 23 सरकारी और गैर सरकारी संस्थानो के पदाधिकारी इस संस्थान के सदस्य है|हर साल केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों से करोड़ो रुपए का फंड इस संस्थान को प्राप्त होता है|इस संस्थान के दो महत्वपूर्ण पदो प्रबंध निदेशक और अधिशाषी निदेशक-1 पर कई सालो से दो व्यक्ति काबिज है|प्रबंध निदेशक के पद पर संजीव सक्सेना है जिनके रिटायर्ड होने के कारण वर्तमान मे यह पद रिक्त है लेकिन संस्थान की शासकीय बैठक मे प्रस्ताव पारित कर पुनः इन्हे इसी पद पर लाने की तैयारी की जा रही है|इसी के साथ अधिशाषी निदेशक-1 पर सैयद सद्दान शाह विगत 20 वर्षो से काबिज है|

## उद्यम प्रोत्साहन संस्थान मे वर्षो से हो रहा जम कर भ्रष्टाचार!!!

दो साल पहले विभाग के एक आला अधिकारी के पत्र से संस्थान मे चल रही भयंकर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था|अपने पत्र दिनांक 26/04/2019 के जरिये अतिरिक्त निदेशक,उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ द्वारा खुलासा किया गया कि:-

1. संस्थान द्वारा जयपुर हाट के संधारण मे केवल चौकीदारी के मद मे ही 20 से 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष का भुगतान किया गया|
2. महालेखाकार कि अंवेक्षण रिपोर्ट दिनांक 20/03/2019 के अनुसार मैसर्स Lyaka Events को GF&AR के विरुद्ध जाकर,लगभग 14 लाख रुपए का अग्रीम भुगतान किया गया,जिसकी वसूली नहीं की गयी तथा 76 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी बकाया बताए गए|
3. अतिरिक्त निदेशक,उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ द्वारा अपने पत्र दिनांक 26/04/2019 के जरिये प्रबंध निदेशक,उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को 11 बिन्दुओं की कतिपय सूचनाओ सहित संस्थान की 10 वर्षो की रोकड़ बही एवं बैंक खातो की प्रतियाँ भी उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया|साथ ही संस्थान की एजी/वित्त विभाग के माध्यम से विशेष लेखा जांच करवाने के भी निर्देश दिये|

परंतु संस्थान द्वारा विभाग को ना तो कोई उत्तर दिया गया और ना ही कोई दस्तावेज़|जिसका स्मरण पत्र भी विभाग द्वारा दिनांक 17/05/2019 को पुनः प्रबंध निदेशक,उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को प्रेषित किया गया एवं आयुक्त महोदय,उद्योग विभाग द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 26/07/2019 के जरिये उक्त सूचनाएँ एवं जवाब मांगे गये|

# अतिरिक्त निदेशक,उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ का पत्रांक-भाग-1

(344)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांक एफ.25(185)आउ/आयो/सुझाव एवं वार्ता/2017–18 दिनांक 26 अप्रेल,2019

प्रबंध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान,
उद्योग भवन, जयपुर

विषय : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा हाट संचालन गतिविधियों का मूल्यांकन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस कार्यालय का आयोजना अनुभाग राज्य सरकार के आयोजना एवं वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु बजट राशि प्रदान कराता है। आयोजना अनुभाग का कार्य यह भी है कि जिन योजनाओं के अंतर्गत बजट राशि उपलब्ध कराई जाती है, उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए बजट राशि सही प्रकार से खर्च हो रही है, इस पर भी निगाह रखें। आयुक्त, उद्योग के आदेश क्रमांक एफ.1(523)/आ.उ./पीएडी अनु/का. आ/2018–III दिनांक 22.03.2019 द्वारा CRD प्रकोष्ठ को एक कार्य यह भी दिया गया है कि विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में समय के साथ आने वाली कमियों का निवारण किया जाए तथा नवाचारों को लागू कराया जाए। विषयगत योजनाओं में कुछ बातें ध्यान में आई हैं तथा कुछ सुझाव भी हैं।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों के आयोजन एवं ग्रामीण/शहरी हाटों के रखरखाव हेतु सहायता राशि दी जाती रही है। मेलों के आयोजन हेतु दी जाने वाली राशि का सामान्यतया संपूर्ण उपयोग संस्थान के मुख्यालय द्वारा किया जाता है जबकि हाटों के संधारण हेतु आवंटित राशि का मुख्य अंश भी संस्थान के मुख्यालय के माध्यम से जयपुर हाट के लिए ही खर्च होता है। वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलों के आयोजन हेतु यूपीएस को 6.40 करोड रू. की राशि हस्तान्तरित की गई है। इस दी गई राशि के विरूद्ध मार्केटिंग अनुभाग की सूचना के अनुसार वर्ष 2017–18 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष है। इसी प्रकार जयपुर हाट के संधारण हेतु वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 तक संस्थान को 1.40 करोड रू. की राशि हस्तान्तरित की गई है। संस्थान को उक्त दोनों स्त्रोतों के अतिरिक्त कुछ फण्डस् पार्किंग के लिए प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आयोजना अनुभाग में नहीं है। इस संबंध में आप निम्न सूचना/टिप्पणी प्रस्तुत करें–

1. वर्ष 2018–19 में मेले एवं प्रदर्शनी के लिए 115.00 लाख रू. की बजट राशि आवंटित कराई गई थी परंतु उक्त राशि का उपयोग मेले/प्रदर्शनियों के लिए नहीं हो पाया क्योंकि संस्थान ने वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 2016–17 की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2019 में प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2017–18 में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

भी बकाया है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2019–20 में मेले/प्रदर्शनियों के लिए राशि आवंटित कराने हेतु आयोजना विभाग को क्या कहा जाना है एवं किस आधार पर राशि आवंटित कराई जानी है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि संस्थान के आय व्यय का लेखाजोखा सही रूप में संधारित नहीं है।

2. जयपुर हाट के संधारण हेतु वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 तक 1.40 करोड रू की राशि दी गई है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है परन्तु आयुक्त, उद्योग को किसी संदर्भ में यह सूचना दी गई है कि वर्ष 2007 से अब तक हाट के संधारण पर 1 करोड 14 लाख रू. की राशि खर्च हुई है। संस्थान के अधिकारियों द्वारा आयुक्त उद्योग को गलत सूचना दी गई। संधारण पर निश्चित रूप से 1.40 करोड रू. से अधिक राशि संस्थान के द्वारा खर्च की गई है, क्योंकि केवल चौकीदारी पर ही लगभग 20 से 30 लाख रू. प्रतिवर्ष का भुगतान संस्थान के द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में पिछले 10 वर्षों में लगभग 2 से 3 करोड रू. तो इसी मद पर खर्च किए गये होंगे। बिजली, पानी एवं अन्य व्यय अलग से हैं। कृपया यह बताएं कि शेष राशि किस स्त्रोत से संस्थान को प्राप्त हुई क्योंकि संस्थान की स्वयं की कोई आय तो है नहीं। आशा है, मेलों एवं प्रदर्शनी एवं पार्किंग फण्ड में से हाट संधारण पर व्यय नहीं किया गया होगा। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से ऐसा किया भी नहीं जा सकता।

3. वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जयपुर हाट के संधारण हेतु क्रमशः 6.75 एवं 6.65 लाख रू. की राशि का प्रावधान बजट में किया गया था जिसकी सूचना आपको समय समय पर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि उक्त राशि का उपयोग अन्य जिलों की भांति FVC बिलों के आधार पर किया जाए किन्तु आपके द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया, क्यों ? उक्त राशि का व्यय नहीं किए जाने से वर्ष 2019–20 के लिए हाट संधारण मद में बजट आवंटन कराने में कठिनाई आ सकती है।

4. किस विभाग/एजेन्सी का फण्ड आपके यहां कब से पार्क है एवं उस पर कितना ब्याज अर्जित किया गया है, विवरण प्रस्तुत करें।

5. आयुक्त, उद्योग के अनुमोदन से जारी आदेश दिनांक 04.04.2018 के अनुसार जयपुर हाट को जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) को हस्तान्तरित किया जाना था परन्तु आज तक हाट का हस्तान्तरण जिला उद्योग केन्द्र को क्यों नहीं किया गया जबकि जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) ने इस बाबत आपको बार बार निवेदन भी किया है।

6. महालेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.3.2019 के अनुसार–मैसर्स Lyaka Events को GF&AR के विरूद्ध जाकर लगभग 14 लाख रू. का अग्रिम भुगतान किया गया था उक्त राशि की वसूली अब तक नहीं की गई है तथा 76 लाख रू. के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी बकाया है।

## अतिरिक्त निदेशक,उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ का पत्रांक-भाग-3

(346)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

उपरोक्त को देखते हुए संस्थान की एजी/वित्त विभाग के माध्यम से विशेष लेखा जाँच कराना प्रस्तावित करें।

7. अरबन हाट, जयपुर में अब तक कितने मेले लगाए गये, कितनी–कितनी अवधि के लगाए गये, कितने उद्योगों/आर्टीजन्स ने भाग लिया तथा जनता की सहभागिता कितनी रही।

8. पिछले 11–12 वर्षों में जयपुर हाट self-reliant नहीं हुआ है, भविष्य में इसको एवं अन्य हाटों को self-reliant बनाने की क्या योजना है।

9. चालू वित्तीय वर्ष में देश से बाहर कम से कम एक फेयर में भाग लेने का प्लान प्रस्तुत करें जिसमें राज्य की branding की जा सके। ऐसा करना राज्य सरकार की जन–घोषणा के अनुरूप भी होगा तथा विषयगत योजना की उपादेयता भी सिद्ध होगी।

10. वर्तमान में जो विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उद्यम प्रोत्साहन संस्थान से जुडे हुए हैं वे कब से, किस–2 रूप में संस्थान से जुडे हुए हैं या इसके लिए कार्य कर रहे हैं।

11. संस्थान की Governing Body की आखिरी बैठक कब हुई थी ?

संस्थान के पिछले 10 वर्षों की रोकड–बही एवं बैंक खातों की प्रतियां उपलब्ध कराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि सही उपयोग में ली गई है । यह आयुक्त, उद्योग से अनुमोदित है।

वान्छित सूचना एक सप्ताह के अंदर–2 प्रेषित करें।

(पी.के.जैन)
अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं
प्रभारी, सीआरडी प्रकोष्ठ

क्रमांक एफ.25(185)आउ/आयो/सुझाव एवं वार्ता/2017–18 दिनांक 26 अप्रेल 2(

प्रतिलिपि – श्री वाई.एन.माथुर, संयुक्त निदेशक, मार्केटिंग अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

## अतिरिक्त निदेशक,उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ का रिमाइन्डर

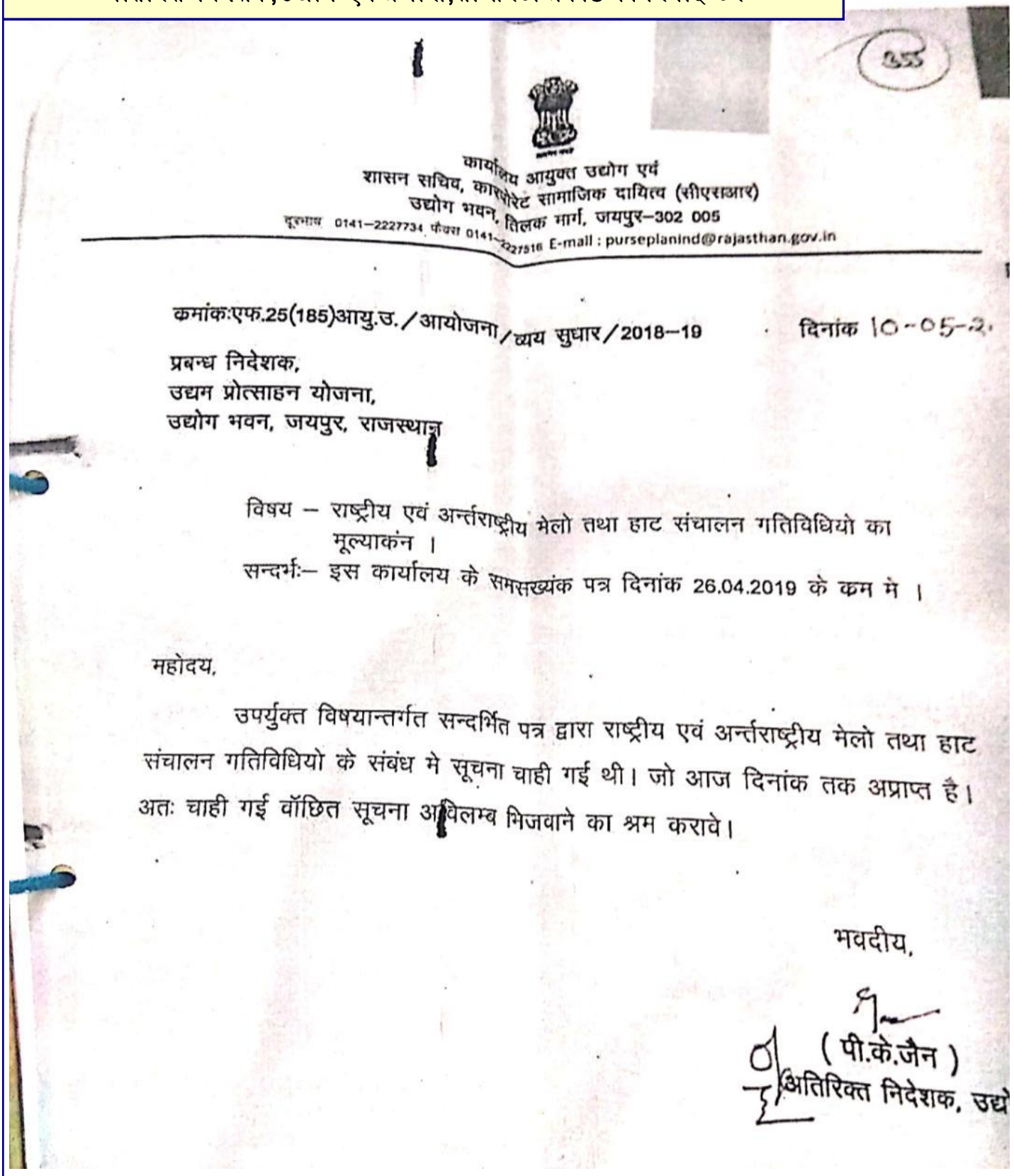

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005
दूरभाष 0141–2227734, फैक्स 0141–2227516 E-mail : purseplanind@rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ.25(185)आयु.उ./आयोजना/व्यय सुधार/2018–19 दिनांक 10-05-2

प्रबन्ध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन योजना,
उद्योग भवन, जयपुर, राजस्थान

विषय – राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय मेलो तथा हाट संचालन गतिविधियो का मूल्याकंन ।
सन्दर्भः– इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 26.04.2019 के कम मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय मेलो तथा हाट संचालन गतिविधियो के संबंध मे सूचना चाही गई थी। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः चाही गई वॉछित सूचना अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावे।

भवदीय,

( पी.के.जैन )
अतिरिक्त निदेशक, उद्यो

# उद्योग विभाग के आयुक्त का पत्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक एफ 25(185)/आ.उ./आयो./सु.पत्रा/2017–18 दिनांक 26-07-2019

प्रबन्ध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान,
उद्योग भवन, जयपुर।

विषय : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं हाट संचालन बाबत।

प्रसंग : आयोजना अनुभाग का सनसंख्यक पत्र दिनांक 26.04.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा 11 बिन्दुओं पर एक सप्ताह की अवधि के अन्दर सूचना चाही गई थी परन्तु आपके द्वारा उक्त सूचना आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि स्मरण पत्र दिनांक 17.05.2019 जारी किया जा चुका है। यह पारदर्शिता की दृष्टि से उचित नहीं है। कृपया वांछित सूचना तत्काल आयोजना अनुभाग को प्रेषित करें, साथ ही संस्थान के आय–व्यय की सूचना निम्न प्रारूप में तैयार कर प्रेषित करें:–

| Receipt | | | | | Expenditure | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Aid | Income | Parking fund | Others | Mela/exhibitions | Maintenance of Rajasthan Haat | Others |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

आयुक्त, उद्योग

## विशेष जांच दल ने अपनी जांच मे उजागर की,संस्था मे हो रही कई अनियमितताए!!!



देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

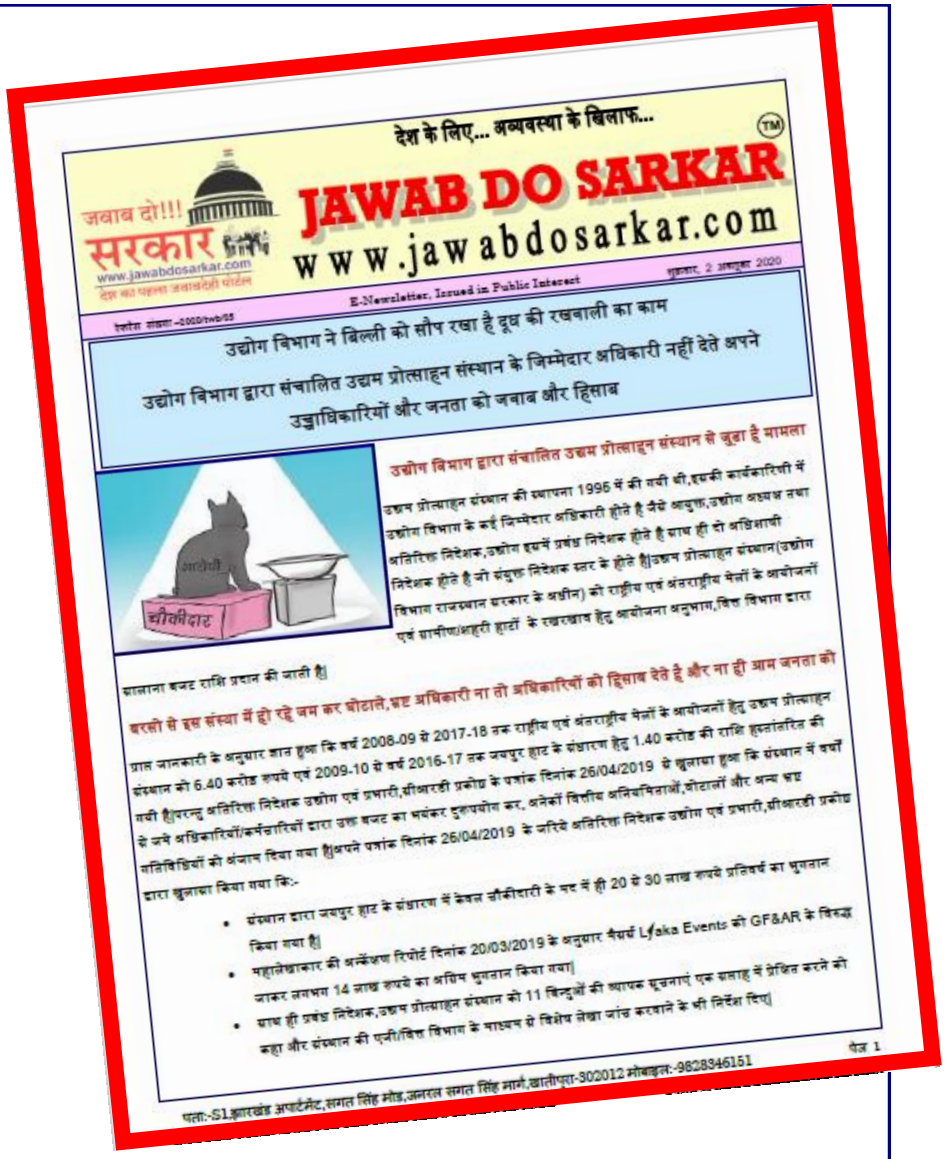

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2020

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेफरेंस संख्या -2020/twb/05

उद्योग विभाग ने बिल्ली को सौप रखा है दूध की रखवाली का काम

उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के जिम्मेदार अधिकारी नहीं देते अपने उच्चाधिकारियों और जनता को जवाब और हिसाब

उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्यम प्रोत्साहन संस्थान से जुड़ा है मामला

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना 1996 में की गयी थी,इसकी कार्यकारिणी में उद्योग विभाग के कई जिम्मेदार अधिकारी होते है जैसे आयुक्त,उद्योग अध्यक्ष तथा अतिरिक्त निदेशक,उद्योग इसमें प्रबंध निदेशक होते है साथ ही दो अधिशाषी निदेशक होते है जो संयुक्त निदेशक स्तर के होते है|उद्यम प्रोत्साहन संस्थान(उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के अधीन) को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मेलों के आयोजनों एवं ग्रामीण/शहरी हाटों के रखरखाव हेतु आयोजना अनुभाग,वित्त विभाग द्वारा सालाना बजट राशि प्रदान की जाती है|

बरसो से इस संस्था में हो रहे जम कर घोटाले,भ्रष्ट अधिकारी ना तो अधिकारियों को हिसाब देते है और ना ही आम जनता को

प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मेलों के आयोजनों हेतु उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को 6.40 करोड़ रुपये एवं 2009-10 से वर्ष 2016-17 तक जयपुर हाट के संधारण हेतु 1.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गयी है|परन्तु अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं प्रभारी,मीआरटी प्रकोष्ठ के पत्रांक दिनांक 26/04/2019 से खुलासा हुआ कि संस्थान में वर्षों से जमे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त बजट का भयंकर दुरुपयोग कर, अनेकों वित्तीय अनियमितताओं,घोटालों और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम दिया गया है|अपने पत्रांक दिनांक 26/04/2019 के जरिये अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं प्रभारी,मीआरटी प्रकोष्ठ द्वारा खुलासा किया गया कि:-

- संस्थान द्वारा जयपुर हाट के संधारण में केवल चौकीदारी के मद में ही 20 से 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान किया गया है|
- महालेखाकार की अन्वेंक्षण रिपोर्ट दिनांक 20/03/2019 के अनुसार मैसर्स Lyaka Events को GF&AR के विरुद्ध जाकर लगभग 14 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया|
- साथ ही प्रबंध निदेशक,उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को 11 बिन्दुओं की व्यापक सूचनाएं एक सप्ताह में प्रेषित करने को कहा और संस्थान की एजी/वित्त विभाग के माध्यम से विशेष लेखा जांच करवाने के भी निर्देश दिए|

पेज 1

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

इस गंभीर मामले की जानकारी प्राप्त होने पर,हमारे द्वारा दिनांक 18/03/2020 को माननीय मंत्री महोदय,उद्योग विभाग को पत्र लिखकर,इस मामले की विशेष ऑडिट/जांच करवाने की मांग की गयी|हमारे पत्र पर गंभीरता दिखाते हुए,माननीय मंत्री महोदय द्वारा जांच के आदेश देने पर, श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा जांच दल का गठन किया गया और अपनी जांच मे उद्योग प्रोत्साहन संस्थान द्वारा कई पत्राचारों के उपरांत,उपलब्ध करवाए गए चंद दस्तावेज़ के आधार पर ही कई अन्य अनियमितताओ को उजागर किया गया|

अपनी जांच रिपोर्ट मे जांच दल द्वारा नेशनल हेंडलूम एक्स्पो-2013 के आयोजन मे हुई अनेकों अनियमितताओं को उजागर किया|इसी के साथ अपनी जांच रिपोर्ट मे जांच दल द्वारा नेशनल हेंडलूम एक्स्पो-2017 के आयोजन मे हुई अनेकों अनियमितताओं के बारे मे भी बताया गया:-

1. नेशनल हेंडलूम एक्स्पो-2017 के आयोजन हेतु पुनः जारी निविदा सूचना दिनांक 16/01/2018 के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं के संबंध मे कोई रिकॉर्ड पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है|

2. नेशनल हेंडलूम एक्स्पो के भुगतान से संबन्धित समस्त बिल एवं वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गए है|

3. नेशनल हेंडलूम एक्स्पो 2017 के आयोजन उपरांत भारत सरकार को प्रेषित किए गए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण मे प्रशासकीय खर्चे के रूप मे रु 3,13366/-पब्लिसिटी हेतु रु 11,19,289/- एवं बैकअप सेवाओ हेतु रु 14,19,706/- खर्च करना बताया गया है,जिसके संबंध मे भी उपलब्ध कराई गयी पत्रावली मे कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है|

4. दिनांक 10/02/2018 को मुकेश टेंट एंड इलेक्ट्रिकल्स को अतिरिक्त कार्यों यथा टेंट एवं मोबाइल एसएमएस हेतु पृथक पृथक कार्यादेश जारी किए गए,जिनका सक्षम स्तर से अनुमोदन नहीं करवाया गया|मोबाइल एसएमएस द्वारा प्रचार करवाने के नवीन प्रकृति के कार्य का भी बिना निविदा प्रणाली अपनाए मै. मुकेश टेंट एंड इलेक्ट्रिकल्स को दिया गया,जो कि राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन है|

5. भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अंतिम किस्त रु 22.50 लाख के प्राप्त होने के संबंध मे पत्रावली पर स्थिति स्पष्ट नहीं है|

## संस्था का 6 साल के लेखो का अनुमोदन करवाया जा रहा एक साथ एक ही साल मे!!!

इस संस्थान मे हुए घोटालो को अमली जामा पहनाने के लिए इस संस्थान की सामान्य एवं शासकीय मण्डल की दिनांक 23/06/2022 को बैठक आयोजित कर,वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के वार्षिक खातो का अनुमोदन करने हेतु एजेंडा भी तैयार किया जा चुका था,लेकिन शुक्र है कि बैठक स्थगित हो जाने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं हो पायी|ज्ञात हो कि संस्थान के लेखो की जांच पिछले 10-12 सालो से एक ही सीए संस्था मै. जेएम व्यास एंड कंपनी चार्टेड एकाउंटेंट से करवायी जा रही है,जो भी सवालो के घेरे मे है|

**दैनिक समाचार पत्र राजगंगा से साभार**

### रूडा से रिटायर्ड संजीव सक्सेना को सरकार ने फिर कांट्रेक्ट पर वहीं ED के पद पर लगाया

# प्रतिष्ठा: नॉन परफार्म डेवलपमेंट एजेंसी खरीदेगी क्रिस्ट्रा

राजगंगा जयपुर।
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से अलग हटकर काम-धंधों को विकसित करने में लगभग नॉन-परफार्म रही सरकारी एजेंसी रूडा ( RUDA) ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में नई किस्ट्रा गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव लिया है।इसके पीछे वजह बताई गई कि रूडा एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास नई सरकारी गाड़ी नहीं है, ऐसे में कहीं आने जाने पर पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल करने से एजेंसी की प्रतिष्ठा खराब होती है। ऐसे में नई इनोवा क्रिस्टा कार खरीदी जाए। बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया। सरकार ने बरसों रूडा में ही नौकरी कर रिटायर हुए संजीव सक्सेना को फिर से ED लगाया है, अब वे खुलकर खर्च कर रहे हैं।

### अनुकंपा नियुक्ति से भर्ती हुआ, अब रिटायरमेंट के बाद भी मलाई

एक जमाने में राजा महाराजा अपने दरबार में कुछ ऐसे लोगों को भी रखते थे, जिनका यूं तो कोई काम नहीं होता था, या तो वे रानियों के पीहर पक्ष से होते थे, या फिर राजा के सही गलत जो भी काम हों, उनकी मुक्तकंठ से प्रसंशा करते थे। राजा को अच्छा फील होता रहे, इसके लिए उन पर मोटा खर्चा भी किया जाता था और राजदरबार में योग्य लोग उनकी वजह से आगे भी नहीं बढ़ पाते थे। ऐसे ही हालात राजस्थान के हैं।

### गांवों में खेती से अलग काम-धंधों का विकास करना है

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के गांवों में लोगों को खेती के अलावा भी अलग तरह के प्रोफेशन जैसे पत्थर का काम, हैंडिक्राफ्ट बनाने समेत ऐसे काम-धंधों को का विकास करने के लिए रूडा की स्थापना की गई थी। ऐसे रोजगार विकसित करना जो नान फार्म मतलब खेती से अलग हों। रूडा में बरसों से जमे एक अफसर ने ऐसा गणित बिठा रखा है कि एक दशक से अधिक समय यहां अलग-अलग पदों पर रहे, फिर रिटायर हो गए तो भी सरकार ने उन्हें ही यहां फिर से नियुक्ति दी तो उनकी सैटिंग का लेवल अचानक चर्चा में आ गया।

### प्रदेश में नॉन परफार्म सरकारी एजेंसियों के खर्चों की भरमार

रूडा और उसमें चल रहे इनोवा खरीद का मामला तो सरकार के सफेद हाथी बन चुकी एजेंसियों का एक मात्र उदाहरण है।इसके अलावा भी बायोफ्यूल प्राधिकरण में पनपने वाले एक अफसर की वजह से प्रदेश में बदनामी का ठीकरा कुछ दिन पहले फूटा है। बस अड्डा विकास प्राधिकरण में बेकार बैठक कई अधिकारी-कर्मचारी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, काम आज तक कुछ नहीं हुआ। गिनती करें तो 20 से अधिक नॉन परफार्म एजेंसियां, निगम और अथॉरिटी ऐसी हैं, जिनमें नाम मात्र का भी काम नहीं हा रहा और खर्चे करने में वे विभागों को भी पीछे छोड़ रहे हैं।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

## जाँच रिपोर्ट

विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री से प्राप्त पत्र दिनांक 19.05.2020 एवं उसके साथ संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांकः एफ. 5 (1034)आउ/लेखा–I अनु/यूपीएस/2020–21/103–112 दिनांक 16.06.2020 द्वारा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक की अवधि के लेखों एवं तथ्यों की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया।

जाँच दल द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में निम्नांकित कार्रवाई की गयी :–

1. शिकायती पत्र के संदर्भ में जांच हेतु जांच दल द्वारा प्रबंध निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को शिकायत पत्र में अंकित बिन्दुओं से संबंधित रिकॉर्ड एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित पत्राचारों द्वारा लिखा गया :–

**जांच दल द्वारा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के जिम्मेदारों को किए गए पत्राचारों का ब्यौरा**

a) अनौ.टीप. क्र. 116–121 दिनांक 18.06.2020
b) मीमो नं. 1 दिनांक 24.06.2020
c) मीमो नं. 1 का प्रथम स्मरण पत्र दिनांक 24.06.2020
d) मीमो नं. 1 का द्वितीय स्मरण पत्र दिनांक 01.07.2020
e) मीमो नं. 1 का तृतीय स्मरण पत्र दिनांक 09.07.2020

(क्रम संख्या b से e तक की प्रतिलिपि निजी सहायक, श्रीमान आयुक्त उद्योग को भी सूचनार्थ प्रेषित की गयी थी)

उक्त पत्राचारों के पश्चात प्रबंध निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा दिनांक 10.07.2020 को निम्नांकित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए :–

**उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजो का ब्यौरा**

i. रोकड़ पुस्तिका (2008–09 से 2014–15)
ii. लेजर (2008–09 से 2014–15)
iii. बिल वाउचर इंडेक्स (2008–09 से 2009–10)
iv. अरबन हाट की स्थापना से संबंधित पत्रावली
v. नेशनल हेण्डलूम एक्सपो 2012–13 से संबंधित दो पत्रावलियां
vi. नेशनल हेण्डलूम एक्सपो 2017 से संबंधित एक पत्रावली उपलब्ध करवायी गई।

जिसके उपरांत दिनांक 16.07.2020 को बकाया रिकार्ड/ सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को स्मरण पत्र–IV लिखा गया जिसका प्रत्युत्तर अथवा वांछित रिकार्ड आदिनांक अप्राप्त है। वांछित रिकॉर्ड के उपलब्ध ना कराये जाने से जांच कार्य सम्पन्न नहीं हो सका।

वेबसाईट– industries.rajasthan.gov.in, ई-मेल– indrajfo4@rajasthan.gov.in
EPABX-0141-2227630, 2227727, 29, 31, 32, 33, 34, Ph.No.0141-2227127


G:\ups.docx

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005

2. शिकायतकर्ता श्री ज्ञानेश कुमार, चीफ एडिटर "जवाब दो सरकार" को दिनांक 25.06.2020 को शिकायत के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया एवं उक्त का प्रत्युत्तर प्राप्त ना होने पर दिनांक 24.07.2020 को पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ दिनांक 06.08.2020 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु कार्यालय आयुक्त उद्योग पर उपस्थित होने हेतु निवेदन किया गया ताकि जांच कार्य में सहयोग मिल सकें।

शिकायतकर्ता द्वारा जांच दल के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए दिनांक 06.08.2020 को ई-मेल द्वारा पूर्व में "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के तहत किये गये आवेदनों की प्रतियां ही उपलब्ध करवाई गयी। जिससे जांच दल को शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बिन्दुओं की जांच करने हेतु कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/सहयोग प्राप्त नहीं हुआ।

3. उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर नेशनल हेण्डलूम एक्सपो 2013 की पत्रावलियों की जांच करने पर निम्न कमियां/अनियमितताएं पायी गयी :-

   i. नेशनल हैण्डलूम एक्सपो-2013 के आयोजन हेतु जारी निविदा सूचना दिनांक 11.01.2013 के आईटम संख्या-1 से संबंधित कार्य थीम पैवेलियन अस्थायी 60 स्टालों, जल व विद्युत व्यवस्था, सुसज्जित गेट एवं शौचालय आदि अन्य सुविधाओं की अनुमानित लागत 28 लाख रु. रखी गयी थी, परन्तु प्राप्त 3 निविदाओं में L-1 मैं. मुकेश टेण्ट एण्ड इलेक्ट्रिकल द्वारा प्रस्तुत निविदा की राशि 38.10 लाख रु. थी, जो कि अनुमानित लागत से 36% अधिक थी। अनुमानित और वास्तविक लागत के मध्य 36% का अंतर व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि वास्तविक खर्च 40.09 लाख किया गया।

   ii. मै. मुकेश टेण्ट एण्ड इलेक्ट्रिकल के द्वारा निविदा में प्रस्तुत रु. 38.10 लाख रु. के कार्य के अतिरिक्त 198,550/- का कार्य करवाया गया। जिसके सक्षम स्तर से अनुमोदन की स्थिति पत्रावलियों में स्पष्ट/पत्रित नहीं है।

   iii. L-1, मैं. मुकेश टेण्ट एण्ड इलेक्ट्रिकल द्वारा सम्पादित करार पत्र पर कोई हस्ताक्षर, मुहर एवं सूचना अंकित नहीं है। जिसके अभाव में करार पत्र अपूर्ण है तथा न्यायिक दृष्टि से अमान्य है।

   iv. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, भाग-II के नियम 41 के अनुसार निविदा सूचना का प्रकाशन ट्रेड जरनल में किया जाना था, जो कि नहीं किया गया।

वेबसाईट- industries.rajasthan.gov.in, ई-मेल- indrajfo4@rajasthan.gov.in
EPABX-0141-2227630, 2227727, 29, 31, 32, 33, 34, Ph.No.0141-2227127

G:\ ups.docx

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

v. नेशनल हैण्डलूम एक्सपो–2013 के आयोजन हेतु निविदा सूचना के क्रम सं. 2 से 6 के अनुसार उपाप्त की गयी विषयवस्तुओं के संबंध में की गयी निविदाओं की सूचना/रिकॉर्ड पत्रावलियों में उपलब्ध नहीं है।

vi. नेशमल हैण्डलूम एक्सपो–2013 के आयोजन के उपरांत भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्राप्ति एवं भुगतान विवरण में प्रशासकीय ख़र्चे के रूप में रु. 4,28,597/–, वर्कशाप पब्लिसिटी हेतु रू. 3,88,265/– एवं बैकअप सेवाओं हेतु रू. 4,72,500/– ख़र्च करना बताया गया है। जिसके संबंध में भी उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

नेशनल हेण्डलूम एक्सपो 2017 की पत्रावलियों की जांच करने पर निम्न कमियां/अनियमितताएं पायी गयी :–

i. नेशनल हैण्डलूम एक्सपो–2017 के आयोजन हेतु पुनः जारी निविदा सूचना दिनांक 16.01.2018 के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं के संबंध में कोई रिकॉर्ड पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

ii. नेशनल हैण्डलूम एक्सपो–2017 के भुगतान से संबंधित समस्त बिल एवं वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये है।

iii. नेशनल हैण्डलूम एक्सपो–2017 के आयोजन के उपरांत भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्राप्ति एवं भुगतान विवरण में प्रशासकीय खर्चे के रूप में रु. 3,13,366/–, पब्लिसिटी हेतु रू. 11,19,289/– एवं बैकअप सेवाओं हेतु रू. 14,19,706/– खर्च करना बताया गया है। जिसके संबंध में भी उपलब्ध करायी गयी पत्रावली में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

iv. दिनांक 10.02.2018 को मै. मुकेश टेन्ट एण्ड इलेक्ट्रिकल्स को अतिरिक्त कार्यो यथा टेन्ट एवं मोबाइल एस.एम.एस. हेतु पृथक–पृथक कार्यादेश जारी किये गये, जिनका सक्षम स्तर से अनुमोदन नहीं करवाया गया। मोबाइल एस.एम.एस. द्वारा प्रचार करवाने के नवीन प्रकृति के कार्य का भी बिना निविदा प्रणाली अपनाये मै. मुकेश टेन्ट एण्ड इलेक्ट्रिकल्स को दिया गया, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन है।

v. भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अंतिम किस्त रू. 22.50 लाख के प्राप्त होने के संबंध में पत्रावली पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

वेबसाईट– industries.rajasthan.gov.in, ई-मेल– indrajfo4@rajasthan.gov.in
EPABX-0141-2227630, 2227727, 29, 31, 32, 33, 34, Ph.No.0141-2227127

राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

4. उक्त कार्रवाई के पश्चात श्रीमान आयुक्त महोदया से निवेदन है कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं प्रबंध निदेशक उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार पाई गई कमियों पर उचित कार्रवाई हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत है।

पी. एन. शर्मा
संयुक्त निदेशक, उद्योग
प्रभारी जांच दल

Shalini
शालिनी शर्मा
लेखाधिकारी, उद्योग
सदस्य जांच दल

सीताराम डूकिया
सहायक लेखाधिकारी–I,
सदस्य जांच दल

स्वाति कुमावत
कनिष्ठ लेखाकार
सदस्य जांच दल

जसवन्त सैन
कनिष्ठ लेखाकार
सदस्य जांच दल

# उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की शासकीय मण्डल की बैठक की सूचना-भाग-1

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ.1(41) यूपीएस/मीटिंग/जी.बी./08/II दिनांक 16-6-2022

::मीटिंग की सूचना::

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की शासकीय मण्डल की बैठक दिनांक 23.06.2022 को पूर्वान्ह् 12.00 बजे आयुक्त, उद्योग, वाणिज्य एवं अध्यक्ष, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की अध्यक्षता में कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य के मीटिंग हॉल में प्रस्तावित की गयी है। मीटिंग का एजेण्डा संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कृपया निर्धारित तिथि एवं समय पर मीटिंग में भाग लेने का कष्ट करें।

16/6/2022

अधिशाषी निदेशक
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं अध्यक्ष, यूपीएस।
2. समस्त संबंधित सदस्यगण...संलग्न सूची अनुसार.....।
3. रक्षित पत्रावली।

16/6/2022

अधिशाषी निदेशक
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर

## उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की शासकीय मण्डल की बैठक की सूचना-भाग-2

### List of Governing Board of Udhyam Protsahan Sansthan

| S. No. | Designation/Name of the Department & Address |
|---|---|
| 1. | Commissioner Industries/ Udhyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 2. | Chairman & Managing Director, RIICO Ltd. Or their Representative not below the rank of ED, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 3. | Chairman & Managing Director RFC, Jaipur Or their Representative not below the rank of ED, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 4. | Chairman & Managing Director ,Rajasthan Handloom Development Corporation Or their representative not below the rank of GM, Chomu House, Jaipur |
| 5. | Managing Director, RSIC, Udhyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 6. | Managing Director, Rajasthan Rajya Bunkar Sahkari Sangh Ltd., NearLaxmi Mandir Cinema, Tonk Road, Jaipur |
| 7. | Secretary Khadi Gramodyog Board,Raj. Jaipur, Khadi Bhawan Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur |
| 8. | Financer Advisor Ind, Udyhog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 9. | Director Bhartiya Shilp Sansthan,(IICD) Jaipur, J-8, Jhalana Institutional Area, Jaipur |
| 10. | Executive Director I st , Udhyam Protsahan Sansthan, Ind Deptt . Udhyog Bhawan, Jaipur |
| 11. | Executive Director II nd , Udhyam Protsahan Sansthan, Ind Deptt. Udhyog Bhawan, Jaipur |
| 12. | General Manager, DICC, Jaipur,(Urban)Udhyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 13. | General Manager, DICC , Jaipur,(Rural)Udhyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur |
| 14. | General Manager, DICC , Jodhpur Basni Industrial Area, Near Power House, Jodhpur |
| 15. | General Manager, DICC , Udaipur Industrial Area, Pratap Nagar, Udaipur |
| 16. | General Manager, DICC Ajmer, Near Savitri Girls College, Civil Lines, Ajmer |
| 17. | General Manager, DICC , Kota, Indl. Area,Aerodrum Road, Kota |
| 18. | President Rajasthan Laghu Udyog Mahasangh, Chamber Bhawan, M.I. Road, Jaipur |
| 19. | President Bhiwadi Manufacturers Association, Bhiwadi, S-56 B.M.A House, Indl., Area, Bhiwadi |
| 20. | President Jodhpur Industries Association, Udhyog Bhawan Complex, Indl., Area, New Power House, Road, Jodhpur |
| 21. | President The Craft Gramodhyog Vikas Samiti Ltd., Alwar Gram Ramgarh, Distt. Alwar |
| 22. | President Nagaur Hand Tools Artisans Cooperative & Society Ltd, Loharpura, Nagaur |
| 23. | Hon'ble Secretary , Rajasthan Chamber of Commerce & Ind., Jaipur Chamber Bhawan, M.I.Road, JPR. |

## इस मीटिंग के लिए इन अधिकारियों,संस्थाओ को किया गया आमंत्रित

## उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की शासकीय मण्डल की बैठक की सूचना-भाग-3

### उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की सामान्य एवं शासकीय मण्डल की बैठक हेतु विचारणीय बिन्दुओं के एजेण्डा का संक्षिप्त विवरण

| एजेण्डा बिन्दु संख्या | एजेण्डा | निर्णय |
|---|---|---|
| 01 | गत शासकीय मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन | |
| 02 | वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक के वार्षिक खातों का अनुमोदन | |
| 03 | वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं बजट का अनुमोदन | |
| 04 | वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की प्रगति | |
| 05 | शहरी हाट जयपुर के संचालन में किये गये भुगतानों का अनुमोदन | |
| 06 | प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन | |
| 07 | अधिशासी निदेशक–II की नियुक्ति का अनुमोदन | |
| 08 | उद्यम प्रोत्साहन संस्थान में आय के साधन विकसित करना | |
| 09 | अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु | |
| 10 | अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से | |

## बैठक के एजेंडे

## उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की शासकीय मण्डल की बैठक की सूचना-भाग-4

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की सामान्य एवं शासकीय मण्डल की बैठक दिनांक 23.06.2022 हेतु विचारणीय बिन्दुओं का एजेण्डा

*एजेण्डा बिन्दु संख्या : 01*

गत शासकीय मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–

गत शासकीय मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–1 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

*एजेण्डा बिन्दु संख्या : 02*

**पिछले 6 सालो के आय-व्यय का अनुमोदन करवाने के लिए रखा एजेंडा**

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक के वार्षिक खातों का अनुमोदनः–

संस्थान के वर्ष 2015–16 से 2020–21 के लेखों की जॉच मैसर्स जे.एम. व्यास एण्ड क0, चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की गई हैं। इसमें संस्थान में किये गये आय–व्यय का विवरण अंकित है, जिसका अनुमोदन शासकीय मण्डल की बैठक में करवाया जाना है। बैलेन्स शीट एवं आय–व्यय खाता शासकीय मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–2)

*एजेण्डा बिन्दु संख्या : 03*

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं बजट का अनुमोदन :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले मेला–प्रदर्शनी एवं अन्य कार्यो का विस्तृत विवरण एवं बजट परिशिष्ट–3 पर अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

*एजेण्डा बिन्दु संख्या : 04*

**शहरी हाट जयपुर के संचालन मे किए गए भुगतनों के अनुमोदन के लिए रखा एजेंडा**

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 की प्रगति :–

संस्थान के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 में आयोजित किये गये मेला–प्रदर्शनी, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, शहरी एवं ग्रामीण हाटों का संचालन आदि कार्य सम्पादन की रिपोर्ट परिशिष्ट–4 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*एजेण्डा बिन्दु संख्या : 05*

*शहरी हाट जयपुर के संचालन में किये गये भुगतानों का अनुमोदनः–*

*शहरी हाट जयपुर के संचालन का कार्य उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसके संचालन में निम्नलिखित कार्य संपादित किये जा रहे हैं:–*

1. *विद्युत व्यवस्था*
2. *पेयजल व्यवस्था*

3. सुरक्षाकर्मी, बागवान, विद्युतकर्मी एवं सफाईकर्मी की व्यवस्था
4. जयपुर हाट में मेला–प्रदर्शनी का आयोजन

जयपुर हाट के सुरक्षा एवं बागवानी आदि कार्य हेतु अनुबंध आधार पर न्यूनतम दरधारी अनुबंधित फर्म के माध्यम से सुरक्षाकर्मी, बागवान, विद्युतकर्मी एवं सफाईकर्मी लगाये गये हैं, जिन्हें श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार न्यूनतम दर पर राशि का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जा चुका हैं। अतः जयपुर हाट के संचालन में उक्त फर्म को वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक 5 वर्ष में किये गये 1,84,02,017.00 रूपये राशि के भुगतान संबंधी प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

**संजीव सक्सेना की पुनः नियुक्ति के लिए रखा एजेंडा,जब कि संजीव सक्सेना को रूड़ा मे ईडी के पद पर लगाया जा चुका है**

एजेण्डा बिन्दु संख्या : 06

प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन

श्री सजीव सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य को दिनांक 08.05.2018 को प्रबंध निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन सस्थान नियुक्त किया गया था, जो कि दिनांक 31.10.2021 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अतः उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्रस्तुत हैं। श्री सक्सेना की सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : 07

अधिशासी निदेशक–II की नियुक्ति का अनुमोदन

अध्यक्ष, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के आदेश दिनांक 09.05.2022 के द्वारा श्री विपुल जानी, संयुक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य को उद्यम प्रोत्साहन संस्थान में अधिशासी निदेशक–II नियुक्त किया गया है, जिसका अनुमोदन शासकीय मण्डल की बैठक मे करवाया जाना अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : 08

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान में आय के साधन विकसित करना

1. उद्यम प्रोत्साहन संस्थान में आय के साधन विकसित करने के लिये अरबन हाट, जयपुर को विवाह समारोह एवं जन्मोत्सव/संगोष्ठी आदि समारोह के लिये नियमानुसार किराये पर देने के लिये राशि आदि का निर्धारण करने के लिये प्रकरण संस्थान की शासकीय मण्डल की बैठक मे विचारार्थ प्रस्तुत है।

2. बजट घोषणा की पालना में अरबन हाट, जयपुर को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित किया जायेगा। इसके लिए आमेर विकास प्राधिकरण को एजेन्सी नियुक्त किया गया है। इसमें एक म्युजियम, केफेटेरिया आदि को विकसित किया जायेगा।
3. ग्रामीण एवं शहरी हाटों में नियमित गतिविधियां चले इस हेतु राजीविका को भी हाट उपयोग करने के लिए दौसा, बीकानेर एवं जैसलमेर हाटों के लिए एम.ओ.यू. किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी कार्यक्रम/प्रदर्शनियां आयोजित कराये जा रहे है।
4. राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवंटित बजट को उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के खाते में संधारित किया जाता है, तत्पश्चात् संस्थान द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल कियान्वयन के लिये आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं के लिये बजट जिला उद्योग केन्द्रों को आवंटित किया जाता है। उक्त कार्य के लिये नियमानुसार बैंक द्वारा शुल्क उद्यम प्रोत्साहन संस्थान से वसूला जाता है। अतः आवंटित बजट में से कुछ प्रतिशत राशि संस्थान के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में चार्ज करना प्रस्तावित किया जाता है।

*अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु 09:-*

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संदर्भ में सभी जिला खातो एवं मुख्यालय की एक ही बैलेंसशीट तैयार किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1. बैंक खाते से राशि आहरण अधिकारों में निम्नानुसार परिवर्तन संस्थान के आदेश दिनांक 11.05.2022 के द्वारा किया गया है:

| क.सं. | पद | राशि रूपये |
|---|---|---|
| 1. | श्री एस.एस.शाह, अधिशाषी निदेशक, प्रथम उद्यम प्रोत्साहन संस्थान | 3.00 लाख रूपये तक |
| 2. | श्री एस.एस.शाह, अधिशाषी निदेशक, प्रथम एवं श्री विपुल जानी, अधिशासी निदेशक द्वितीय, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त हस्ताक्षर | 3.00 रूपये से 5.00 लाख रूपये तक |
| 3. | श्री महेन्द्र कुमार पारख, अध्यक्ष एवं श्री एस.एस.शाह, अधिशाषी निदेशक, प्रथम उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के सयुक्त हस्ताक्षर | 5.00 लाख रूपये से अधिक |

उपरोक्त परिवर्तन अनुमोदनार्थ बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।

*अन्य एजेण्डा बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-*

## जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्या चल रहा है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान मे?
2. उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को केंद्रीय और राज्य सरकार की किन किन एजेंसियों द्वारा विभिन्न मदो मे फंड जारी किया जाता है?
3. आखिर क्यूँ नहीं है इन मदो का संस्थान के पास हिसाब-किताब?
4. कौन है इस संस्थान मे हो रहे घोटालो का जिम्मेदार?

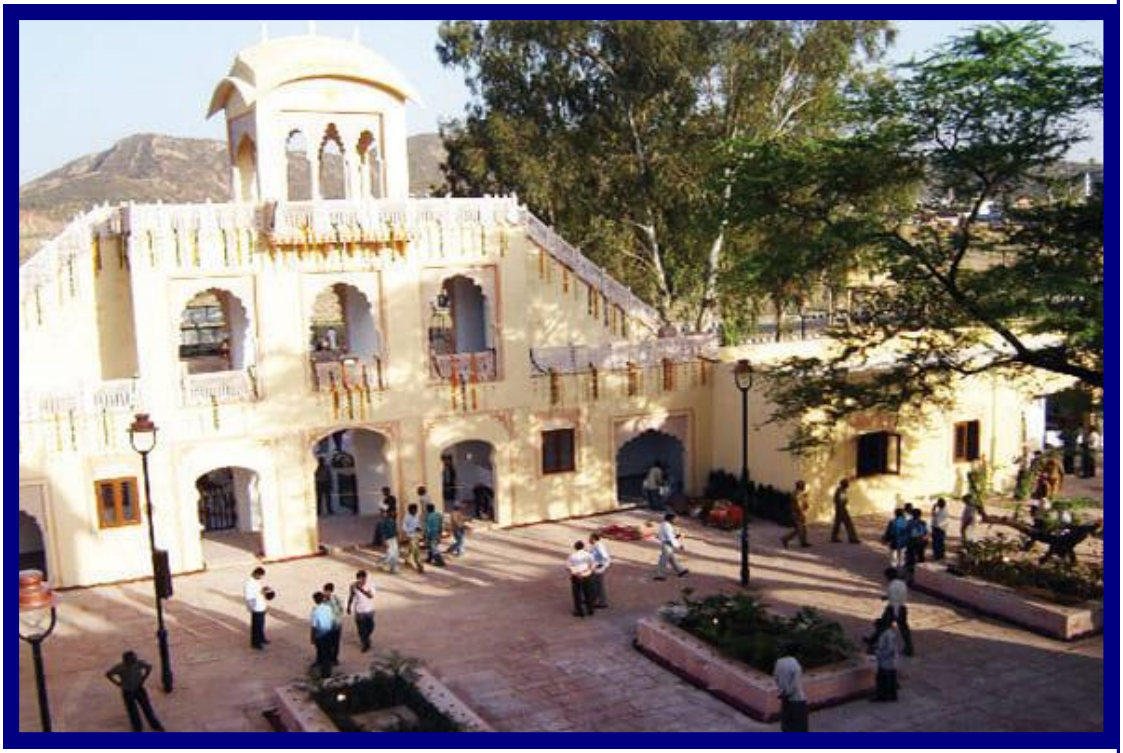

5. आखिर कौन बचा रहा है इन घोटालो मे जिम्मेदार अधिकारियों और फ़र्मों को?
6. आखिर क्यूँ विशेष जांच दल के विभिन्न पत्राचारों के बावजूद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा ?
7. आखिर किसके कहने पर विशेष जांच दल की इस रिपोर्ट को फ़ाईलों मे दफन कर दिया गया?
8. जब राज्य के सभी हाट बाजार जिलो के जिला उद्योग केन्द्रो के पास है,तो क्यूँ आज दिनांक तक जयपुर हाट को जिला उद्योग केंद्र,जयपुर(शहर) को हस्तांतरित नहीं किया गया?
9. क्या वित्त विभाग/AAG या केंद्र की कोई जांच एजेंसी करेगी संस्थान मे हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच?